न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 01/2022

1 रामनिवास आयु 70 साल पुत्र स्व. प्रहलाद
2 सागरमल आयु 66 साल पुत्र स्व. प्रहलाद
3 प्रभूदयाल आयु 63 साल पुत्र स्व. प्रहलाद
4 श्रीमती बादामी उम्र 93 साल पत्नी स्व. प्रहलाद
समस्त जाति माली सैनी पेशा कृषि निवासी गत वार्ड संख्या 3 हाल वार्ड संख्या 5 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 हरिराम आयु 70 साल
2 कन्हैयालाल आयु 66 साल
3 रामरतन आयु 63 साल
4 रघुनाथ आयु 60 साल
5 विद्याधर आयु 57 साल पुत्रगण स्व. मूलचन्द जाति माली सैनी निवासी वार्ड नम्बर 17 पुलिस थाने के सामने खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
6 श्रीमती लाली आयु 55 साल पुत्री स्व. मूलचन्द पत्नी स्व. ग्यारसीलाल जाति माली निवासी आमली वाली ढाणी कोलिहान नगर के पास खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
7 श्यामसुन्दर आयु 70 साल पुत्र स्व. नारायणराम जाति माली निवासी अडूकिया स्कुल के पास वार्ड नम्बर 28 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
8 देवकीनन्दन आयु 50 साल
9 योगेश
10 मनोज कुमार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 सेठी पुत्रगण स्व. श्रीमती लक्ष्मीदेवी व श्यामसुन्दर जाति माली निवासी अडुकिया स्कुल के पास वार्ड नम्बर 28 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

12 नत्थुराम पुत्र स्व. बींजाराम जाति माली निवासी रेलवे स्टेशन के पास डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

13 शिवप्रसाद

14 कमल

15 दुर्गाप्रसाद पुत्रगण स्व. श्रीमती भगवातीदेवी व नत्थुराम जाति माली निवासी रेलवे स्टेशन के पास डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

16 श्रीराम आयु 41 साल पुत्र गुलाबचन्द

17 श्रीमती प्रेमलता आयु 36 साल पत्नी श्रीराम जाति कुमावत कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 12 ज्युडिसियल कोलोनी झोझू खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

18 कुन्दन आयु 57 साल पुत्र स्व. प्रहलाद जाति माली सैनी निवासी वार्ड नम्बर 5 खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

19 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त. अधि.
1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं दिनांक 27.03.2004 दावा उनवानी मूलचन्द
बनाम रामनिवास आदि दावा घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती
दावा संख्या 99/2003

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—29.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 99/2003 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 के पिता व 8 से 11 व 13 से 15 के नाना मूलचन्द पुत्र डेडाराम ने अपीलान्टस नम्बर 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 18 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दावा कर अनुतोष चाहा कि खसरा नम्बर 2505 रकबा 1.79 हैक्टेयर वाके ग्राम खेतड़ी का खातेदार घोषित किया जावे व खसरा नम्बर 2505/2 रकबा 0.69 हैक्टेयर जमीन प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के खाते से कम की जाकर दुरूस्ती की जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने दिनांक 30.04.2001 को मूलचन्द का उक्त दावा खारिज कर दिया। उक्त मूलचन्द विवादित जमीन के बाबत आदेश दिनांक 18.11.1999 की पालना में दस्तावेज पेश नही कर सका। उक्त मूलचन्द ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2001 के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर में अपील की इस अपील में दिनांक 25.07.2002 में निर्णय पारित कर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2001 को अपास्त कर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर निर्णित करने के लिए पत्रावली रिमाण्ड कर दी। इसके बाद दिनांक 01.04.2003 को दावा पुनः दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की तलबी में तारीख दी गई। अपीलान्टस/प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री यादराम थे लेकिन वृद्धावस्था व शारीरिक रूप से असहाय होने के कारण उन्होंने कहा कि उनका लड़का श्री विरेन्द्र कुमार यादव एडवोकेट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उनसे पुछकर पैरवी कर लेगा इस पर अपीलान्टस ने विश्वास कर लिया। दिनांक 09.07.2003 को वादी के प्रार्थना पत्र अ.आ. 01 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर लिया गया व प्रतिवादी नम्बर 6 की तलबी में पेशी दी गई लेकिन अपीलान्टस 4/प्रतिवादी नम्बर 6 श्रीमती बादामी देवी को बिना तलब किये व बिना जवाब देही व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 27.03.2004 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी ने निर्णय व डिक्री पारित कर उक्त मूलचन्द का दावा डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 01.04.2003 को इस न्यायालय से रिमांड होकर प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की विचारण न्यायालय में जरिये वकालतन उपस्थिति रहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय 27.03.2004 को पारित किया गया है। प्रस्तुत अपील 17 साल के विलम्ब से दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा इस असाधारण विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर